

ग्रामीण भारत के सामाजिक—आर्थिक विकास की दशा एवं दिशा

Condition and Direction of Socio-Economic Development Of Rural India

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 27/01/2021, Date of Publication: 28/01/2021

सारांश

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पिछले सात दशकों में भारत में ग्रामीण विकास हेतु सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण भारत के सामाजिक—आर्थिक विकास के प्रयास किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदला है एवं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। किन्तु, फिर भी इन योजनाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अध्ययन करके यह जानने का प्रयास किया गया है कि ये कहीं तक सफल रहे हैं। ग्रामीण विकास के मार्ग में कौन सी बाधाएँ हैं? मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि का अध्ययन करके ग्रामीण भारत के विकास की प्रमुख बाधाओं को रेखांकित करते हुए भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

After the independence, in the last seven decades, efforts have been made by the governments for the socio-economic development of rural India through various schemes and programs for rural development in India. Through these programs, we have changed the picture of rural India and have made remarkable achievements in various fields. However, they have not yet fully achieved the goals of socio-economic development of these schemes.

In the research paper presented, after studying the plans and programs of socio-economic development of rural India, it has been tried to know how far these have been successful. What are the obstacles in the path of rural development? Study of rural MNREGA, National Rural Livelihood Mission, Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, National Social Assistance Program and MP Adarsh Gram Yojana etc. Suggestions for the future are outlined, underlining the constraints.

मुख्य शब्द : ग्रामीण भारत, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), दीन दयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इत्यादि।

Rural Employment Guarantee Act (MNREGA), Deen Dayal Antyodaya Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, National Social Assistance Program, MP Adarsh Gram Yojana, etc.

प्रस्तावना

आजादी के बाद के सात दशकों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई प्रगति का जब हम विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दशकों में ग्रामीण भारत ने काफी प्रगति की है और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हमने जो आज उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, वे हमारे लिए गौरव की बात हैं। इन दशकों में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के माध्यम से दासता,



मन्ना लाल मीना

सह प्राध्यापक,
लोक प्रशासन विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
बस्सी, जयपुर, राजस्थान
भारत

अत्याचार और उत्पीड़न के उस पूरे माहौल को ही बदल डाला है, जिसके कारण हमारे ग्रामीण नागरिक पिछड़े, दुखी, गरीब और उपेक्षित बने हुए थे। परन्तु इन सात दशकों के सफर में हमने ग्रामीण भारत में जो सफलताएँ हासिल की हैं, उन पर सन्तोष ही किया जा सकता है, गर्व नहीं। क्योंकि आज भी ग्रामीण विकास के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं और हमें बहुत कुछ हासिल करना बाकी है।

ग्रामीण विकास से आशय ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास से है। भारत आजादी के समय से ही कल्याणकारी देश रहा है और सभी सरकारी प्रयासों का मूलभूत उद्देश्य देश की जनता का कल्याण करना रहा है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास के लिए विविध कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही जनता का सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान करना प्रमुख लक्ष्य रहा है। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार कर उन्हें सामाजिक-आर्थिक विकास की धारा में प्रवाहित किया जा सके एवं उनकी मूल जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हों।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास की दशा एवं दिशा का अध्ययन करके ग्रामीण विकास की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं की पहचान करके उनके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रभावी एवं आवश्यक समाधान सुझाना है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अध्ययन से ही यह समझा जा सकता है कि यह कहाँ तक सफल हो रही हैं और अगर इनमें कमियाँ हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर खोजना इस शोध-पत्र का उद्देश्य है।

शोध साहित्य का पुनर्विलोकन

जैसा कि विदित है, प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक होता है कि वह दूसरों के द्वारा किए गए अपनी समस्या से सम्बन्धित साहित्य की सूचनाओं से भली-भाँति अवगत हो। इसी कारण प्रस्तुत शोध पत्र के लिए ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य का पुनर्विलोकन किया गया। शोध की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध प्रबंधों, अभिलेखों एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिवेदनों का अध्ययन किया गया जिससे शोध समस्या के चयन, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं शोध कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2019-2020 की वार्षिक रिपोर्ट का विस्तार से अध्ययन किया गया। इन प्रतिवेदनों में ग्रामीण विकास के लिए संचालित एवं क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विस्तार से वर्णन है। वर्षवार इन योजनाओं के लिए आवंटित किये गये धन एवं

उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इनसे इन योजनाओं की सफलता एवं क्रियान्विति का पता चलता है।

इसी प्रकार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के योजना एवं कुरुक्षेत्र के विभिन्न अंकों के प्रकाशन से भारतीय ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनके समय समय पर ग्रामीण विकास के विशेषांकों में भरपूर अध्ययन सामग्री पाई जाती है। इनके अलावा 'इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल वीकली' पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिन्दू एवं फाइनेंसियल एक्सप्रेस इत्यादि समाचार पत्रों में भी शोध अध्ययन से सम्बन्धित जानकारी समय समय पर प्रकाशित होती रही है।

इन सभी पत्र-पत्रिकाओं के अलावा विभिन्न पुस्तकों जैसे जी.डी.गिरधारी की पुस्तक "ग्रामीण विकास में प्रबंध के महत्वपूर्ण पहलू" एवं पाण्डा की पुस्तक "रूरल डेवलपमेन्ट पॉलिसी प्रेक्टिस" इत्यादि से ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न आयामों का ज्ञान प्राप्त होता है।

अनुसंधान प्रारूप

प्रस्तुत शोध पत्र के लिए समस्या के चयन के पश्चात् परिकल्पनाओं के निर्माण द्वारा उनकी सत्यता का पता लगाने के लिए एक तार्किक अनुसंधान प्रारूप का निर्माण किया गया। इस हेतु सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों एवं लाभार्थियों की वास्तविकता का पता लगा कर अनुसंधान कार्य सम्पन्न किया गया। द्वितीय स्रोत से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इनके निष्कर्षों के आधार पर ग्रामीण भारत के विकास की प्रमुख बाधाओं को पहचान कर प्राप्त निष्कर्षों के आधार प्रस्तुत शोध-पत्र में भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं का मूल्यांकन

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण भारत के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना से अब तक विभिन्न योजनाएँ बनायी गई हैं। इस हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रायोजित करीब 150 योजनाओं का निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन किया जा चुका है एवं कई महत्वपूर्ण योजनाएँ आज भी संचालित की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण भारत के विकास हेतु पिछले दो दशकों से सरकारों द्वारा विभिन्न अवसरों पर नई-नई योजनाओं की घोषणाओं की भरमार से ग्रामीण भारत का परिदृश्य पूरी तरह बदल रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु निम्नलिखित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

मनरेगा, भारत सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। इस प्रकार आजीविका सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं लोकतांत्रिक सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव द्वारा ग्रामीण भारत का समावेशी विकास सुनिश्चित

करने के लिए मनरेगा एक सशक्त साधन सिद्ध हो रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा 57512 करोड़ रुपये व्यय किया गया जो अब तक का सर्वाधिक व्यय था। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 5.04 करोड़ परिवारों को 138.64 लाख कार्यों में रोजगार प्रदान किया गया है। इस दौरान 235 करोड़ से अधिक श्रम दिवसों का रोजगार सृजित हुआ है। पहले प्रति वर्ष औसतन 25-35 लाख कार्य पूर्ण किये जाते थे। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 52.4 लाख कार्य पूरे किये गए। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-2017 में कुल व्यय की लगभग 62 प्रतिशत राशि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्यों पर खर्च की गई जबकि वित्तीय वर्ष 2014-2015 में यह खर्च मात्र 49 प्रतिशत था। बेहतर आयोजना, प्रभावी निगरानी, स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जियो-मनरेगा नामक एक विशिष्ट पहल शुरू की गई है, जिसमें मनरेगा के अन्तर्गत सृजित की गई सभी परिसंपत्तियों की जियो टैग के लिए अंतरिक्ष प्राद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान 4.59 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और अब तक रोजगार के 178.81 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए। स्व. लक्षित स्वरूप के इस कार्यक्रम में अत्यधिक कमजोर वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति (39:), महिलाओं (54:) की भागीदारी काफी ज्यादा रही। वर्ष 2017-2018 में प्राकृतिक प्रबंधन से सम्बन्धित लगभग 23795.13 करोड़ रुपये की लागत के (कुल लागत का 58.27:) 60.44 लाख कार्य शुरू किए गए। वर्ष 2017-18 के दौरान सृजित किये गये रोजगार की स्थिति अनुबन्ध -C में दर्शायी गयी है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019 में 5.27 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया और रोजगार के 267.91 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए। इस वर्ष प्राकृतिक प्रबंधन से सम्बन्धित लगभग 41329.06 करोड़ रुपये की लागत के (कुल लागत का 58.79:) 73.64 लाख कार्य शुरू किए गए।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 (17 दिसम्बर, 2019 तक) में 4.51 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया और रोजगार के 177.42 करोड़ श्रम दिवस सृजित किये गये। इस वर्ष प्राकृतिक प्रबंधन से सम्बन्धित लगभग, 27,206.96 करोड़ रुपये की लागत के (कुल लागत का 67:) 17 लाख कार्य शुरू किए गए।

सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण होने वाले पलायन में कमी आई है एवं जलवायु संबंधी खतरों से उभरने के लिए परिवारों की क्षमता में बढोत्तरी हुई है तथा महिला सशक्तिकरण भी हुआ है।

दीन दयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन (डीएवाई एन.आर.एल.एम.)

इस योजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण गरीब परिवारों, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 9 करोड़ है, तक पहुँचना और उन्हें आजिविका के स्थायी अवसर

उपलब्ध करवाना है। यह मिशन ग्रामीण गरीब महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान का अधिकार प्रदान करता है और बेहतर सामाजिक दर्जा दिलाता है तथा निर्णय लेने में उन्हें भूमिका प्रदान करता है। विशिष्ट बात यह है कि इस मिशन का उद्देश्य 29 राज्यों और 7 संघ राज क्षेत्रों में 646 से अधिक जिलों, 6910 ब्लॉकों, 2,38,000 ग्राम पंचायतों और लगभग 6,40,000 गांवों में बसे 70 से 80 मिलियन गरीब ग्रामीण परिवारों की जीवन दशा में सुधार लाना है। इस मिशन में प्रत्येक वर्ष चुनिन्दा ब्लॉकों को शामिल करने वाली चरणबद्ध किन्तु गहन क्रियान्वयन कार्यनीति अपनाई थी ताकि वर्ष 2018-2019 तक सभी ब्लॉकों को और वर्ष 2024-2025 तक सभी पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जा सके।

इसमें मार्च, 2019 तक, गहन ब्लॉक कार्यनीति के अन्तर्गत 5,246 ब्लॉकों को कवर किया गया जिसमें से वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान 791 ब्लॉक कवर किए गए। इसी प्रकार वर्ष 2019-2020 के दौरान (अक्टूबर, 2019 तक) कुल 5,894 ब्लॉकों को गहन ब्लॉक कार्यनीति के तहत कवर किया गया, जिसमें से 645 ब्लॉकों को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान शामिल किया गया।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)रोजगार से जुड़ी कौशल विकास योजना है, जिसका कार्यान्वयन पीपीसी मोड़ में किया जा रहा है। यह 15-35 वर्ष की आयु समूह के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को लक्षित करती है। यह एक राष्ट्रव्यापी रोजगार से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका वित्त पोषण भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। यह राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस योजना (डीडीयू-जीकेवाई) का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर उत्पादन केन्द्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' अभियान में योगदान करना है।

यह योजना पूरे देश में लागू है एवं 28 राज्यों के 617 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। 30 नवम्बर, 2019 तक की स्थिति के अनुसार (डीडीयू-जीकेवाई) में 1389 परियोजनाओं के लिए 1584 प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिसमें 627 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसिया हैं, जो 51 क्षेत्रों में और 521 रोजगारों का आयोजन कर रही हैं। इस योजना में 30नवम्बर, 2019 तक 20.67 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है और कुल 14.65 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

ग्रामीण सम्पर्क ग्रामीण लोगों के सामाजिक - आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, विपणन आदि सुविधाएँ उपलब्ध करवाता है। इस घटक की महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने राज्यों की सहायता करने के लिए गरीबी उपशमन कार्य नीति के हिस्से के रूप में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

(पीएमजीएसवाई) शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में कोर नेटवर्क में शामिल 500 (जनगणना-2001 के अनुसार) और इससे अधिक आबादी वाली सड़क से न जुड़ी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना है। विशेष क्षेणी के राज्यों, मरुभूमि वाले क्षेत्रों एवं चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े इलाकों में आबादी 250 और इससे अधिक आबादी वाली पात्र बसावटों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वर्ष 2017-18 के परिणाम, लक्ष्य और उपलब्धियाँ अनुबन्ध -८ में दर्शायी गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

वर्ष 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने की सरकार की प्राथमिकता के संदर्भ में ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2016-2017 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना में वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 तक 3 वर्षों की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए सहायता दिए जाने का लक्ष्य रखा गया। इस अवधि के वर्ष 2016-2017 में कुल 32,14,564 मकानों का निर्माण किया गया है और 16,074 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

इस योजना में 2021-2022 तक 'सबके लिए आवास लक्ष्य' की प्राप्ति हेतु 2.95 करोड़ आवास के निर्माण का उद्देश्य रखा गया है। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों की देखरेख एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि 3 प्रतिशत लाभार्थी विकलांग व्यक्ति हो। वर्ष 2017-18 के दौरान ऐसे व्यक्तियों के लिए 4557 मकानों का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 60 : निधियाँ इस योजना में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की जाती हैं। इस योजना से महिला सशक्तिकरण में योगदान मिला है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

वर्ष 2002-2003 से 2013-2014 तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की स्कीम राज्य प्लान के अन्तर्गत थी। वर्ष 2014-2015 से एनएसएपी स्कीमों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में बदल दिया गया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को योजनावार निधियां जारी करता है। राज्यों में एनएसएपी योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्य रूप से समाज कल्याण विभागों द्वारा किया जा रहा है। कुछ राज्यों में इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभागों तथा कुछ राज्यों में महिला एवं बाल विकास विभागों द्वारा किया जा रहा है।

वर्तमान में, एनएसएपी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों

क्षेत्रों के बीपीएल व्यक्तियों के लिए है। पात्रता और दी जानी वाली सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

60-79 वर्ष की आयु के पात्रता मनदड पूरा करने वाले बीपीएल व्यक्तियों को प्रति माह 200 रुपये तथा 80 वर्ष या उसके अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रुपये की पेंशन सहायता दी जाती है। दिसम्बर 2017 तक इस योजना में 178 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

वर्ष 2009 से शुरू इस योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रतिमाह 300 रुपये की सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

वर्ष 2009 से शुरू इस योजना में भी बीपीएल परिवारों के 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिमाह 300 रुपये की सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

बीपीएल परिवार में 18-59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर शोक संतान बीपीएल परिवार को 20000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

अन्नापूर्णा योजना

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र तो हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में शामिल नहीं किया है, को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है।

वर्ष 2018-2019 के दौरान इन समस्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 8418.46 करोड़ रुपये की धनराशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई थी। वर्ष 2019-2020 के लिए कुल 9200 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान किया।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

ग्रामीण भारत में आदर्श ग्राम पंचायतों के विकास उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) शुरू की थी। प्राथमिक रूप से मार्च, 2019 तक तीन आदर्श ग्रामों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से एक गांव वर्ष 2016 तक विकसित कर लिया है। इसके बाद वर्ष 2024 तक ऐसे पांच आदर्श ग्रामों (प्रत्येक वर्ष एक) का चयन करके उनको विकसित किया जायेगा। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य, स्वच्छता, हरियाली और सौहार्दर्यता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और ये ग्राम स्थानीय विकास एवं शासन का विद्यालय बनकर पड़ोसी ग्राम पंचायत को प्रेरित करेंगे। इस योजना से वैयक्तिक विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास,

आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास एवं बुनियादी सुविधाओं जैसे क्षेत्रों का विकास हो पायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत सांसदों ने चरण -८ के अन्तर्गत देशभर में 703 ग्राम पंचायतों को गोद लिया है। इसके अलावा, 05दिसम्बर, 2019 तक विकास करने के लिए चरण - ८ के अन्तर्गत 499 ग्राम पंचायतों और चरण - ८ के तहत 293 ग्राम पंचायतों को गोद लिया गया है। गोद लिए जाने के बाद इन ग्राम पंचायतों ने बच्चों का टीकाकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं का नामांकन, विद्युतीकरण और पाईप द्वारा पेयजल की आपूर्ति जैसे पेरामीटरों का विस्तार करने के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन अथवा राष्ट्रीय रूबन मिशन (एनआरयूएम) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 5142.08 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 21 फरवरी, 2016 को शुरू किया गया था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए उत्प्रेरक कार्यक्रमों की सेवा प्रदायगी हेतु बनाया गया एक अद्भुत कार्यक्रम है। इसमें अब तक देश के लक्षित 300 कलस्टर्स में से 267 कलस्टर्स का निर्धारण एवं अनुमोदन किया गया है। इस मिशन के माध्यम से इन कलस्टर्स में बुनियादी, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल सुविधाओं की कमी को दूर किया जा रहा है।

ग्रामीण भारत के विकास की प्रमुख बाधाएँ

उपर्युक्त वर्णित सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत की ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाकर गरीबी मिटाना एवं रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके जीवन में आने वाली कठिनाईयों का निवारण करना है। वह दृष्टि से ये सभी कार्यक्रम और योजनाएँ प्रशंसनीय हैं और इनका ग्रामीण भारत पर असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद गम्भीर चिन्ता की बात यह है कि पिछले सात दशकों में इतने प्रयास करने और इतना धन खर्च करने के बाद भी ग्रामीण विकास को वह गति और दिशा नहीं मिल पाई है, जिसकी अपेक्षा की गई थी। ग्रामीण भारत के विकास में निम्न प्रमुख बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनका निराकरण अति आवश्यक है :-

गरीबी

अभी भी देश की 35 करोड़ से अधिक आबादी कंगाली की दशा में रह रही है और इनमें से 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में रहते हैं। यह एक विडम्बना है कि आजादी के बाद 70 वर्षों के प्रयास, असंख्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के बाद भी हम अपनी एक तिहाई आबादी को गरीबी के चंगुल से मुक्त नहीं कर पाये हैं।

पर्यावरण का क्षरण

विकास के भौतिकवादी प्रारूप ने भूमि, वनों, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुन उपभोग एवं दोहन को बढ़ाया है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत के पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ा है।

अशिक्षा/निरक्षरता —अशिक्षा वस्तुतः सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित सभी समस्याओं की जननी है,

जिसके परिणामस्वरूप निर्धनता, बेकारी, अति जनसंख्या, बालिका भ्रूण हत्या एवं बाल श्रम जैसी अनेक समस्याएँ गहरी हुई हैं। यह सर्वविदित है कि ग्रामीण भारत में साक्षरता की स्थिति विशेष रूप से महिला साक्षरता की स्थिति अच्छी नहीं है।

स्वास्थ्य समस्याएँ

ग्रामीण विकास के तमाम प्रयासों के बावजूद ग्रामीण जनता हेतु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में न सिर्फ विशेषज्ञ चिकित्सकों बल्कि सामान्य चिकित्सकों का भी अभाव है। फलतः ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य की दशाएँ दयनीय हैं। लगभग 75 प्रतिशत स्वास्थ्य संरचना, चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी संसाधन नगरों में हैं जहाँ 27 प्रतिशत जनता निवास करती है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण ऋणग्रस्तता एक गम्भीर समस्या है। यह न सिर्फ सामाजिक आर्थिक अवसरों में असमानता को बढ़ाती है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में संवृद्धि प्रक्रिया को बाधित करती है तथा ऋणग्रस्त परिवारों में कुंठा एवं अवसाद के कारण जनतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहभागिता हेतु उनमें अन्तर्पीडित विकलांगता भी उत्पन्न करती है।

इनके अतिरिक्त जाति, धर्म, परिवारवाद, माफिया, सामन्तवाद, अफसरशाही एवं प्रजातांत्रिक संस्थाओं में अवैधानिक प्रतिनिधित्व इत्यादी भी ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएँ हैं।

भविष्य के लिए सुझाव

ग्रामीण भारत के विकास में उपर्युक्त सभी बाधाओं के दूर करने के साथ-साथ निम्न प्रमुख उपाय करने होंगे, जिससे ग्रामीण भारत प्रगति पथ पर तीव्र गति से बढ़ सके :-

शिक्षा का प्रचार-प्रसार

ग्रामीणों के ग्राम विकास के लिए नई तकनीक जानने व आपनाने के लिए, नई योजनाओं का लाभ उठाने एवं ग्रामीण विकास के हर आयाम पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा शिक्षा के प्रचार-प्रसार की जरूरत है। अतः ग्रामीण भारत में शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सामाजिक रूढ़िवादी सोच को बदलना

ग्रामीण भारत में पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक रूढ़िवादी सोच को बदलने की जरूरत है ताकि ग्रामीण विकास के लिए किसी भी ऐसे साधन को अपनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए जो आर्थिक प्रगति को रोक दे।

पिछड़ेपन से मुक्ति — निर्धनता, निरक्षरता एवं सामाजिक कुरूपियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक पिछड़ापन होता है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र प्रगति नहीं कर पाते हैं, अतः इस पिछड़ेपन से मुक्ति जरूरी है।

वोकेशनल प्रशिक्षण की व्यवस्था

परम्परागत व्यवसाय को छोड़कर ज्यादातर ग्रामीणों के पास आय के कोई और साधन नहीं होते हैं। अगर ग्रामीण आबादी को रोजगार उन्मूलक प्रशिक्षण दिया जाये तो उनके पास रोजगार के अन्य साधन भी उपलब्ध

होंगे एवं उनका सामाजिक-आर्थिक विकास भी आसानी से होगा।

महिला सशक्तिकरण

शहरी भारत की अपेक्षा ग्रामीण भारतीय क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। विकास में महिलाओं की भी पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी होती है। ग्रामीण महिला के विकास के लिए उनको शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और सभी मूलभूत अधिकार देना जरूरी है, तभी ग्रामीण भारत का विकास संभव होगा।

निष्कर्ष

स्पष्ट है ग्रामीण भारतीय क्षेत्रों का विकास करना भारत जैसे विशाल देश की पहली आवश्यकता है। शहरी भारत के हित में भी यही है कि ग्रामीण भारत में समृद्धि आये तथा वहां के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, परिवहन और व्यापार आदि की सभी सुविधाएं मिलें। शहरों की समृद्धि गांवों की खुशहाली से जुड़ी हुई है। अतः ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार एवं क्षेत्रवार परिवर्तनकर ग्रामीणों को सभी मूलभूत सुविधाएं, जैसे सड़क, बिजली, समुचित शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल इत्यादि उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2016-17.

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2017-18.
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19.
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20.
5. गिरधारी, जी.डी., ग्रामीण विकास में प्रबंध के महत्वपूर्ण पहलू, चेंजिंग विलिजेस, सरल न्यूज एण्ड न्यूज, (2,6) य 1971.
6. कुरुक्षेत्र - प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, न्यू देहली, 2000, 2001.
7. योजना - प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, न्यू देहली, 1999, 2000.
8. पाण्डा, रुरल डेवलपमेन्ट पॉलिसी प्रेक्टिस, अनु बुक्स, शिवाजी रोड, मेरठ, 1997.
9. "पी.डी.एस. इज नॉट अरबन बायसड" फाइनेनशियल एक्सप्रेस, अप्रैल 4, 1991
10. "जोब्स डाउन एण्ड पोवेरिटी अप इन रुरल इंडिया", टाइम्स ऑफ इंडिया, जनवरी 3, 1992
11. "रिफोरमिंग द रुरल नॉन-फार्म सेक्टर", द हिन्दू, सितम्बर 3, 2001.

अनुबन्ध -I

2017-2018 के दौरान सृजित किया गया रोजगार सं. लाख में

क्र.स.	राज्य	जॉब कार्ड जारी किये गए परिवारों की संख्या	रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या	सृजित किये गये श्रम दिवस					100 दिन का कार्य पूरा करने वाले परिवारों की संख्या
				अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	कुल	महिला	
1.	आंध्र प्रदेश	86.089	37.242	388.198	176.156	1162.775	1727.129	1021.382	2.683
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.112	0.932	0.013	15.258	2.483	17.753	6.091	0
3.	असम	42.336	14.281	15.868	57.417	229.895	373.18	144.295	0.061
4.	बिहार	142.574	19.935	138.599	10.24	509.107	657.946	302.344	0.081
5.	छत्तीसगढ़	35.646	19.955	82.59	283.862	438.05	804.502	397.663	1.355
6.	गोवा	0.33	0.064	0.039	0.283	0.572	0.894	0.705	0
7.	गुजरात	34.38	7.165	16.162	107.86	131.179	255.202	108.53	0.054
8.	हरियाणा	8.623	2.395	32.577	0.009	35.678	68.264	33.018	0.02
9.	हिमाचल प्रदेश	11.927	4.344	44.461	13.706	100.209	158.376	97.225	0.058
10.	जम्मू एवं कश्मीर	11.038	4.363	8.937	32.239	152.022	193.199	53.362	0.119
11.	झारखंड	38.79	12.731	52.404	135.144	287.896	475.444	176.787	0.3
12.	कर्नाटक	53.778	16.662	113.725	65.591	510.663	689.979	324.966	0.177
13.	केरल	32.963	11.395	54.149	16.724	271.76	342.633	308.803	0.147
14.	मध्य प्रदेश	62.737	32.244	224.395	419.318	686.482	1330.195	501.729	0.316
15.	महाराष्ट्र	82.316	14.209	57.077	109.466	405.228	571.771	255.488	1.111
16.	मणिपुर	5.394	4.309	0.788	17.238	14.513	32.539	13.838	0
17.	मेघालय	5.217	3.777	0.769	181.665	7.33	189.765	87.416	0.346
18.	मिजोरम	1.899	1.895	0.017	97.55	0.614	98.181	33.067	0
19.	नागालैंड	4.268	3.923	1.002	114.029	4.659	119.69	34.988	0
20.	ओडिशा	61.839	18.796	108.47	234.081	299.506	642.057	267.612	0.216

21.	पंजाब	14.078	6.033	137.733	0.048	41.898	179.679	113.64	0.046
22.	राजस्थान	95.15	40.636	379.476	413.335	1036.436	1829.247	1184.183	0.418
23.	सिक्किम	0.795	0.553	0.782	7.068	11.818	19.667	9.429	0.008
24.	तमिलनाडु	78.366	56.774	633.885	22.886	1481.541	2138.312	1830.726	1.216
25.	तेलंगाना	67.565	24.409	230.1223	184.999	608.165	1023.287	623.783	1.345
26.	त्रिपुरा	6.062	5.146	21.543	82.783	51.065	155.391	73.381	0.023
27.	उत्तर प्रदेश	149.154	41.573	427.885	11.809	840.031	1279.724	443.3	0.149
28.	उत्तराखण्ड	10.181	4.254	27.195	7.005	118.244	152.444	81.501	0.086
29.	पश्चिम बंगाल	114.71	49.597	769.559	206.064	1434.895	2410.519	1142.219	2.535
30.	अंडमान एवं निकोबार	0.35	0.051	0	0.09	1.05	1.14	0.675	0
31.	दादर और नगर हवेली	0.035	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0.08	0.001	0	0.029	0	0.029	0.005	0
34.	पुदुचेरी	0.624	0.322	2.01	0.009	3.773	5.791	4.972	0
	कुल	1261.406	459.966	3970.431	3023.961	10949.537	17943.929	9677.123	12.87

स्रोत :- ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018.

अनुबन्ध-II

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
वर्ष 2017-2018 के परिणाम, लक्ष्य और उपलब्धियां
दिसम्बर, 2017 तक

क्र.स.	राज्य	लंबाई (किमी.)		बसावटों की संख्या		कुल व्यय (भारत सरकार का अंश) रु.करोड़ में
		वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य	पूरी की गई लम्बाई	वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य	जोड़ी गई बसावटे	
1.	आंध्र प्रदेश	500	120.31	100	18	107.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	1200	691.42	50	6	2.62
3.	असम	2000	404.17	650	171	159.32
4.	बिहार	7000	2297.04	3,800	1,672	944.33
5.	छत्तीसगढ़	2000	508.56	750	132	281.12
6.	गोवा	0	0.00	0	0	0.00
7.	गुजराज	50	28.44	10	6	43.25
8.	हरियाणा	50	38.49	0	0	25.47
9.	हिमाचल प्रदेश	1700	1341.18	220	45	247.37
10.	जम्मू और कश्मीर	1800	1032.57	400	113	478.09
11.	झारखंड	5000	2245.16	1,850	935	748.58
12.	कर्नाटक	66	44.93	0	0	40.21
13.	केरल	534	153.09	25	1	126.06
14.	मध्य प्रदेश	6200	3261.56	2,800	1,356	1348.86
15.	महाराष्ट्र	1400	286.62	60	11	312.58
16.	मणिपुर	1000	340.61	85	57	175.78
17.	मेघालय	450	75.57	60	21	97.55
18.	मिजोरम	500	43.34	55	0	50.71
19.	नगालैंड	50	62.00	0	0	8.99
20.	ओडिशा	7000	3362.88	2,800	695	1666.33
21.	पंजाब	950	723.22	0	0	89.61
22.	राजस्थान	3800	2118.55	900	618	405.60
23.	सिक्किम	400	230.13	35	1	130.40
24.	तमिलनाडु	1500	1058.95	25	0	437.75
25.	त्रिपुरा	650	189.12	100	23	83.48

26.	उत्तर प्रदेश	5200	1816.10	380	33	1039.32
27.	उत्तराखण्ड	2000	887.85	380	84	297.62
28.	पश्चिम बंगाल	3500	1093.14	1,000	337	629.20
29.	तेलंगाना	500	217.97	65	7	77.31
	कुल :	57,000	24672.94	16,600	6342	10055.3

स्त्रोत :- ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018.